

दि स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड: नई दिल्ली
(औद्योगिक संबंध समूह)

एसटीसी/मुख्यालय/कार्मिक/औ.सं./02140/2014

29 मार्च, 2019

परिपत्र सं.: औ.सं./05/2019

विषय: एसटीसी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना - 2019

एसटीसी के मुख्य प्रबंधक स्तर तक के कुछ पात्र कर्मचारियों के लिए एसटीसी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना आरंभ करने का निर्णय लिया गया है। यह योजना तत्काल प्रभाव से लागू होगी और 29.04.2019 को कार्यसमय की समाप्ति तक (दोनों दिनों को मिलाकर) खुली रहेगी। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लेने वाले पात्र कर्मचारियों को अपना आवेदन निर्धारित फार्मेट (अनुलग्नक-1) में उचित माध्यम से भेजना होगा। मुख्यालय/शाखा कार्यालयों में आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 29.04.2019 को कार्यसमय की समाप्ति तक होगी।

2. पात्रता:

एसटीसी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना सभी नियमित कर्मचारियों पर निम्नानुसार लागू होगी:

- 2.1 सभी स्टाफ संवर्ग के कर्मचारियों पर सेवा अवधि की अपेक्षा किए बिना।
- 2.2 सहायक प्रबंधक (ई1) से मुख्य प्रबंधक (ई4) स्तर के सभी प्रबंधकों पर, जिन्होंने कार्पोरेशन में 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है,

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कारण होने वाली रिक्तियों के स्थान पर कोई भर्ती/पदोन्नति नहीं की जाएगी।

3. वीआरएस प्रतिपूर्ति और अन्य सेवांत हितलाभ:

- 3.1 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना-2019 के लिए आवेदन करने वाले कर्मचारी को निम्नलिखित अनुग्रही लाभों (योजना 'क' अथवा योजना 'ख') में से **किसी एक** का चयन करना होगा और वीआरएस आवेदन फार्म के क्रम सं. 2 पर अपना विकल्प स्पष्ट रूप से दर्शाना होगा:

3.1.1 योजना-'क' - गुजरात पद्धति

प्रतिपूर्ति में सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 35 दिनों का वेतन और अधिवर्षिता तक शेष सेवा के लिए 25 दिनों का वेतन शामिल होगा। प्रतिपूर्ति न्यूनतम ₹25,000/- या 250 दिन का वेतन, जो भी अधिक हो, की शर्त पर होगा। तथापि, यह प्रतिपूर्ति उस वेतन से अधिक नहीं होगी जो कर्मचारी अधिवर्षिता से पूर्व की शेष अवधि के लिए मौजूदा स्तर पर प्राप्त करेगा।



3.1.2 योजना-‘ख’ - डीएचआई (भारी उद्योग विभाग) पद्धति

(i) एक कर्मचारी सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 45 दिनों की परिलब्धियों (वेतन + महंगाई भत्ते) के बराबर अनुग्रही अदायगी या सेवानिवृत्ति के समय मासिक परिलब्धियों को सेवानिवृत्ति की सामान्य तारीख से पूर्व सेवा के शेष महीनों से गुणा करते हुए, जो भी कम हो, की अनुग्रही अदायगी का हकदार होगा।

(ii) जिन सभी ने कम-से-कम 30 वर्ष की सेवा पूरी की है, वे अधिकतम 60 (साठ) महीने के वेतन के रूप में प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे। यह सेवा की शेष अवधि के वेतन से अधिक नहीं होने की शर्त पर होगा (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के समय मासिक वेतन की दर से)।

3.2 अनुग्रही अदायगी के अलावा, निम्नलिखित सेवानिवृत्ति लाभ देय होंगे:

3.2.1 लागू सेवा शर्तों के अनुसार तीन महीने का नोटिस भुगतान अनुमेय होगा। तथापि, यह इस शर्त के अधीन होगा कि प्रतिपूर्ति की कुल राशि और तीन महीने के नोटिस का भुगतान, कर्मचारी की सेवानिवृत्ति तक उसकी सेवा की शेष अवधि के लिए भुगतान से अधिक नहीं होगा।

ऐसी परिस्थितियों में, जहां प्रबंधन को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन की स्वीकृति के बारे में निर्णय लेने में समय लगता है और नोटिस अवधि को बीत जाने दिया जाता है या संबंधित व्यक्ति ने नोटिस अवधि के दौरान उसके द्वारा की गई सर्विस के लिए पूर्ण वेतन प्राप्त किया है, ऐसे मामलों में नोटिस अवधि का भुगतान देय नहीं होगा, क्योंकि व्यक्ति ने पहले ही नोटिस अवधि के दौरान वेतन प्राप्त कर लिया है।

3.2.2 वीआरएस के तहत प्रतिपूर्ति अन्य सेवानिवृत्ति लाभों, जैसे सीपीएफ, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के तहत ग्रेच्युटी और कार्पोरेशन के नियमों के अनुसार अवकाश नकदीकरण के अलावा होगी।

3.2.3 कर्मचारी को कार्यभार मुक्त करने की तारीख तक आनुपातिक आधार पर आकस्मिक अवकाश के बराबर नकद राशि।

3.2.4 गृह नगर या उस स्थान पर जहाँ वह भारत में बसने का इरादा रखता है, जाने के लिए स्वयं और परिवार के लिए कार्पोरेशन के यात्रा भत्ता नियमों के तहत उसकी पात्रता के अनुसार यात्रा व्यय।

3.2.5 समय-समय पर संशोधित एसटीसी (सेवानिवृत्त कर्मचारी) चिकित्सा लाभ योजना के तहत चिकित्सा लाभ, बशर्ते कर्मचारी किसी अन्य स्रोत से इस प्रकार के लाभ न ले रहा हो।

3.2.6 वीआरएस का विकल्प लेने वाला कर्मचारी एसटीसी कर्मचारी परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता योजना - पेंशन योजना - पेंशन नियमों की अनुसूची 10(ख) द्वारा शासित होगा।

3.2.7 कंपनी के स्वामित्व वाले आवास को रखना एसटीसी आवासीय अपार्टमेंट नियमों के अनुसार होगा और ₹2 लाख (दो लाख रुपए) की ब्याज मुक्त टोकन राशि आवास खाली करने तक रख ली जाएगी।

२३-

4. प्रक्रिया:

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने हेतु अनुलग्नक-1 में दिये अनुसार निर्धारित आवेदन पत्र दो प्रतियों में नामित नोडल अधिकारी के पास प्रस्तुत किए जाएंगे:

क) मुख्यालय में: श्री एस.के.मीणा, संयुक्त महाप्रबंधक – कार्मिक प्रभाग

(उनकी अनुपस्थिति में श्री आनंद प्रकाश, संयुक्त महाप्रबंधक – कार्मिक प्रभाग, नोडल अधिकारी के रूप में आवेदन स्वीकार करेंगे। यदि उपर्युक्त दोनों अधिकारी उपस्थित न हों तो, आवेदन महाप्रबंधक (कार्मिक) को प्रस्तुत किए जाएंगे।

ख) शाखाओं में: शाखा प्रबंधक अथवा उनके द्वारा नामित प्रबंधक आवेदन प्राप्त करने हेतु नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

मुख्यालय और शाखा कार्यालयों दोनों में, आवेदन की पावती, छायाप्रति (संबंधित कर्मचारी द्वारा रखी जाने वाली) पर नोडल अधिकारी द्वारा प्राप्ति की तिथि और समय दर्शाते हुए दी जाएगी। शाखाओं के कर्मचारियों के आवेदनों के मामले में, आवेदन पत्र की स्कैन की हुई प्रति अधिक-से-अधिक अगले दिन तक महाप्रबंधक (कार्मिक) को tkerkatta@stclimited.co.in पर ईमेल से या फैंक्स/डाक द्वारा भेजी जाएगी। शाखाओं द्वारा आवेदन पत्रों की मूल प्रतियाँ साप्ताहिक आधार पर महाप्रबंधक (कार्मिक) को भेजी जाएँगी।

5. कार्यमुक्ति


- 5.1 इस योजना के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारियों को जल्द से जल्द कार्यमुक्त किया जाएगा। वीआरएस लेने वाले कर्मचारी कार्यमुक्त होने से पूर्व संबंधित प्रभागाध्यक्ष/शाखा प्रबंधक द्वारा नामित अधिकारी को अपना कार्यभार सौंपेंगे। किसी भी कर्मचारी के वीआरएस अनुरोध को स्वीकार करना सतर्कता अनापत्ति की शर्त पर होगा और उनकी कार्यमुक्ति कार्यभार सौंपने के बाद ही होगी।
- 5.2 वीआरएस आवेदनों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आम तौर पर, सतर्कता अनापत्ति की शर्त पर प्रोसेस किया जाएगा।
- 5.3 इस योजना के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहने वाले कर्मचारी उनके आवेदन की स्वीकृति के तुरंत बाद संबंधित कर्मचारी को सूचित करने पर या कार्य की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित तिथि से कार्पोरेशन के रोल से हट जाएँगे।

6. अन्य शर्तें:

- 6.1. वीआरएस के उद्देश्य से वेतन में केवल मूल वेतन और महंगाई भत्ता शामिल होंगे तथा कुछ और नहीं गिना जाएगा।
- 6.2. अनुग्रही राशि की गणना के उद्देश्य से महीना 30 दिन के आधार पर गिना जाएगा।
- 6.3. अन्य पीएसयू में की गई पिछली सेवा केवल तभी गिनी जाएगी, जबकि अर्जित अवकाश और भविष्य निधि के समतुल्य नकद राशि हस्तांतरित की गयी हो।
- 6.4. ग्रेच्युटी का भुगतान ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार किया जाएगा।
- 6.5. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वालों को उपर्युक्त को छोड़कर कोई अन्य लाभ देय नहीं होंगे।
- 6.6. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के कारण भुगतान आयकर अधिनियम के अनुसार आयकर कटौती, यदि कोई हो, की शर्त पर होगा।



- 6.7. एक बार कोई कर्मचारी एसटीसी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का लाभ उठाता है, वह किसी अन्य सार्वजनिक उपक्रम/सरकारी विभाग में रोजगार लेने के लिए अयोग्य होगा। यदि वह ऐसा करने की इच्छा रखता/रखती है, तो उसे प्राप्त अनुग्रही अदायगी एसटीसी को लौटानी होगी। यदि एसटीसी को बंद/विलय कर दिया जाता है, तो अनुग्रही अदायगी सीधे सरकार को लौटानी होगी।
- 6.8. वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों को अपने पास सुपुर्द फाइलों की सूची विधिवत पृष्ठ संख्या डालकर तैयार करनी होगी और कार्रवाई हेतु लंबित मामलों की एक सूची तैयार करनी होगी तथा प्रभागाध्यक्ष/शाखा प्रबंधक द्वारा नामित प्रबंधक को उन्हें अपना कार्यभार सौंपना होगा। आगे, वह कार्यालयी उपयोग के लिए उसे जारी की गई सभी वस्तुएँ संबंधित विभाग को लौटाएगा तथा संबंधित प्रभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा। इसके पश्चात ही उसकी देय राशि जारी की जाएगी।
- 6.9. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति अनुरोध को सतर्कता अनापत्ति की शर्त पर स्वीकार किया जाएगा।
- 6.10. कर्मचारियों को वीआरएस का विकल्प 29.04.2019 को कार्यघंटों की समाप्ति तक चुनना होगा। इसके बाद, प्रबंधन औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रावधानों के अनुसार अधिशेष जनशक्ति से निपटारे की प्रक्रिया शुरू कर सकता है।
- 6.11. एक बार वीआरएस आवेदन की पावती दे दी जाती है तो विकल्प लेने वाले कर्मचारी को उसका वीआरएस आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
7. इस योजना के तहत कार्पोरेशन के पात्र कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देने हेतु अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सक्षम प्राधिकारी होंगे।
8. सक्षम प्राधिकारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु किसी कर्मचारी के आवेदन को संगठनात्मक आवश्यकता के मद्देनजर या किसी प्रशासनिक कारण, यथा सतर्कता मामले आदि, से स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं और सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। कोई भी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति तब तक प्रभावी नहीं मानी जाएगी जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का निर्णय लिखित रूप में सूचित न किया गया हो।
9. कार्पोरेशन इस योजना के लागू करने के दौरान किसी भी समय इसे वापिस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है तथा इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा।


(टी. केरकेटा)

महाप्रबंधक (कार्मिक)

प्रतिलिपि:

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के कार्यकारी सचिव
- सभी निदेशकों/मुख्य सतर्कता अधिकारी के कार्यकारी सचिव
- सभी मुख्य महाप्रबंधक
- सभी प्रभागाध्यक्ष/सभी शाखा प्रबंधक
- संयुक्त महाप्रबंधक (लेखा एवं स्थापना)
- महासचिव, एसटीसी कर्मचारी संघ का परिसंघ, नई दिल्ली
- महासचिव, एसटीसी ऑफिसर्स एसोसिएशन का परिसंघ, नई दिल्ली
- महासचिव, एसटीसी अखिल भारतीय अनु.जाति/जनजाति कर्मचारी संघ का परिसंघ, नई दिल्ली
- सूचना पट्ट
- एसटीसी वेबसाइट

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना-2019 हेतु आवेदन

(नोडल अधिकारी के पास दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाए)

महाप्रबंधक (कार्मिक),
एसटीसी ऑफ इंडिया लिमिटेड,
जवाहर व्यापार भवन,
टॉलस्टॉय मार्ग,
नई दिल्ली - 110001

(उचित माध्यम से)

महोदय,

परिपत्र सं. औ.सं./05/2019 दिनांक 29.03.2019 के संदर्भ में, मैं एतद्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना-2019 के तहत सेवानिवृत्ति हेतु आवेदन करता/करती हूँ। मेरी आयु और सेवा के विवरण नीचे दिए गए हैं:

क.	एसटीसी में नियुक्ति की तारीख	
ख.	एसटीसी में सेवा के पूर्ण वर्ष (आवेदन की तिथि पर)	
ग.	वर्तमान पद	
घ.	जन्मतिथि	
ङ.	वर्तमान आयु	
च.	अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति की तारीख	
छ.	आवेदन की तिथि को वेतन:	
	I. मूल वेतन (₹)	
	II. महंगाई भत्ता (₹)	
	III. कुल योग	

2) मैं निम्नलिखित अनुग्रही लाभ का विकल्प लेना चाहता/चाहती हूँ:-

3) मैं एतद्वारा वचन देता/देती हूँ कि पावती दिए जाने के पश्चात मैं अपना आवेदन वापिस नहीं लूँगा/लूँगी।

4) मैं अनुरोध करता/करती हूँ कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु मेरे आवेदन पर सकारात्मक रूप से विचार किया जाए और इसकी स्वीकृति पर मेरे देयों का योजना के अनुसार शीघ्रतः शीघ्र निपटान कर दिया जाए।

5) मैं एतद्वारा यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के पश्चात मैं किसी पीएसयू/सरकारी विभाग में कार्यग्रहण नहीं करूँगा/करूँगी। मेरे द्वारा ऐसा करने पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना-2019 के प्रावधान मुझ पर लागू होंगे।

6) मैं एसटीसी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना-2019 में निर्धारित निबंधन एवं शर्तों को बिना किसी शर्त तथा अपरिवर्तनीय रूप में स्वीकार करता/करती हूँ।

भवदीय,

क्रम सं. :	_____
प्राप्त करने की तारीख :	_____
समय(घंटे:मिनट) :	_____
नोडल अधिकारी के	
हस्ताक्षर नाम और पदनाम :	_____

हस्ताक्षर: (_____)

आवेदक का नाम: _____

पदनाम: _____

प्रभाग/शाखा: _____

कर्मचारी सं.: _____

फोन नं.: _____

THE STATE TRADING CORPORATION OF INDIA LTD: NEW DELHI
(INDUSTRIAL RELATIONS GROUP)

F. NO: STC/CO/PER/IR/02140/2014

March 29th, 2019

CIRCULAR NO: IR/05/2019

SUBJECT: STC VOLUNTARY RETIREMENT SCHEME-2019

It has been decided to introduce the STC Voluntary Retirement Scheme for certain eligible employees of STC up to the level of Chief Manager. The Scheme is issued with immediate effect and shall remain open up to the closing hours of 29.04.2019 (both days inclusive). The eligible employees seeking Voluntary Retirement will be required to send their applications in the prescribed format (Annexure-I) through proper channel. The last date of receipt of applications at the Corporate Office/Branches will be the closing office hours of 29.04.2019.

2. Eligibility

The STC Voluntary Retirement Scheme will be applicable to all the regular employees in STC as under:

- 2.1 All employees in Staff cadre irrespective of length of service
- 2.2 All Managers from Assistant Manager (E1) to Chief Manager (E4) level, who have completed 10 years of service in the Corporation.

There will be no recruitment/promotion against vacancies arising out of Voluntary Retirement Scheme.

3. VRS Compensation and other Terminal Benefits

3.1 An employee, while applying for Voluntary Retirement Scheme -2019, should opt for **any one** of the following ex-gratia benefits (Scheme 'A' or Scheme 'B'), and indicate his/her choice clearly at Sl. No. 2 of the VRS application form:

3.1.1 SCHEME – 'A' – GUJARAT PATTERN

The compensation will consist of salary of 35 days for every completed year of service and 25 days for the balance of service left until superannuation. The compensation will be subject to a minimum of Rs. 25,000/- or 250 days salary whichever is higher. However, this compensation shall not exceed the sum of the salary that the employee would draw at the prevailing level for the balance of the period left before superannuation.



3.1.2 SCHEME – 'B' - DHI PATTERN

(i) An employee would be entitled to ex-gratia payment equivalent to 45 days emoluments (Pay+DA) for each completed year of Service or monthly emoluments at the time of retirement multiplied by the balance month of service left before the normal date of retirement whichever is less.

(ii) All those who have completed not less than 30 years of service, will be eligible for maximum of 60 (Sixty) months salary/wage as compensation. This will be subject to the amount not exceeding the salary/wage for the balance period of service left (at the rate of monthly salary/wage at the time of Voluntary Retirement).

3.2 Besides ex-gratia, the following terminal benefits shall be payable:

- 3.2.1 Three months' notice pay as per applicable service conditions will be allowed. This will, however, be subject to the condition that the total amount of compensation and three months' notice pay shall not exceed pay for the balance period of employees' service till his/her superannuation.
In circumstances where the management takes time to take a decision about the acceptance of an application submitted by the employee for voluntary retirement and allows the notice period to lapse or the individual concerned has drawn full salary during the notice period served by him/her, in these cases notice period pay would not be admissible as the individual has already drawn the salary during the notice period.
- 3.2.2 The compensation under VRS will be in addition to the terminal benefits viz CPF, Gratuity as per Payment of Gratuity Act, and Encashment of Leave as per rules of the Corporation.
- 3.2.3 Cash equivalent to Casual Leave on pro-rata basis up to the date of relieving of the employee.
- 3.2.4 Travel expenses for self and family for proceeding to home town or to the place where he/she intends to settle in India as per his/her entitlement under the TA rules of the Corporation.
- 3.2.5 The Medical benefits as stipulated under the STC (Retired Employees') Medical Benefit Scheme as amended from time to time, provided the employee does not avail of similar benefits from any other source.
- 3.2.6 An employee opting for VRS will be governed by Clause 10(b) of STC Employees' Defined Contribution Superannuation Scheme - Pension Scheme – Pension Rules.
- 3.2.7 Retention of company owned residential accommodation will be as per STC Residential Apartment Rules and a token amount of Rs. 2 Lakhs (Rupees Two Lakhs) – interest free will be retained till vacation of accommodation.

PO

4. **Procedure:**

The prescribed form for seeking VRS at Annexure –I will be required to be submitted in duplicate to the designated Nodal Officers:

- a) **At Corporate Office:** Shri S.K. Meena, JGM – Personnel Division
(In his absence, Shri Anand Parkash, JGM - Personnel Division will act as Nodal Officer to receive the applications. In case both the above officials are not present, the applications will be submitted to GM (Personnel).
- b) **At Branches:** Branch Manager or a Manager nominated by him will act as Nodal Officer to receive the applications.

In both Corporate Office and Branches, the acknowledgement of the application will be given on duplicate copy (to be retained by the concerned employee) indicating date of receipt to be recorded by the Nodal Officer. In case of applications from employees of Branches, scanned copy of the same shall be sent latest by next day by email to General Manager (Personnel) at tkerketta@stclimited.co.in or by Fax/Post. The original application forms will be sent by the Branches on a weekly basis to the General Manager (Personnel).

5. **Relieving**


- 5.1 The employees who seek Voluntary Retirement under this scheme shall be relieved at the earliest. The VRS optee shall handover his/her charge to the official designated by the respective Divisional Head/Branch Manager before being relieved. The acceptance of VRS request of an employee will be subject to Vigilance clearance and his/her relieving will be only after handing over the charge.
- 5.2 Processing of VRS applications will be done on first come first serve basis, generally, subject to Vigilance clearance.
- 5.3 The employee who seeks Voluntary Retirement under this Scheme will cease to be on the rolls of the Corporation immediately after the acceptance of his/her application is communicated to the concerned employee or from the date as decided by the Competent Authority, keeping in view the exigency of work.

6. **Other Conditions:**

- 6.1. Salary for the purpose of VRS shall consist of Basic Pay and Dearness Allowance only and no other element will be counted.
- 6.2. For the purpose of calculation of ex-gratia, month will be calculated on the basis of 30 days.
- 6.3. Past service rendered in other PSUs would be taken into account only on transfer of cash equivalent to Earned Leave and Provident Fund.
- 6.4. Gratuity will be paid as per The Payment of Gratuity Act, 1972.
- 6.5. No other benefits except those mentioned above will be admissible to those who seek voluntary retirement.
- 6.6. The payment on account of Voluntary Retirement shall be subject to Income Tax deductions, if any, as per Income Tax Act.

Bo

- 6.7. Once an employee avails of voluntary retirement from STC, he/she shall be disqualified to take up employment in any another PSU/Govt Department. If he/she desires to do so, he/she shall have to return the ex-gratia payment received by him/her to STC. In case STC is closed/merged, the ex-gratia payment shall be directly returned to the Government.
 - 6.8. The VRS optees shall be required to prepare a list of files lying in his/her custody duly page numbered and also list of pending matters requiring action and hand over charge to the manager as designated by the Divisional Head/Branch Manager. Further, he will return all items issued to him for official use to the concerned department and obtain NOC from the Division concerned. Thereafter, his/her dues will be released to him/her.
 - 6.9. The acceptance of Voluntary Retirement request shall be subject to Vigilance clearance.
 - 6.10. The employees will have to opt for VRS by the closing hours of 29.04.2019. Thereafter, the management may initiate the process to deal with the surplus manpower as per provisions of the Industrial Dispute Act, 1947.
 - 6.11. Once acknowledgement of VRS application has been given, the optee will not be allowed to withdraw his/her VRS application.
7. The Chairman–cum-Managing Director of the Corporation will be the Competent Authority to grant Voluntary Retirement to the eligible employees of the Corporation under this Scheme.
 8. The Competent Authority may accept or reject the application of an employee for Voluntary Retirement, keeping in view any administrative reason, like Vigilance issues etc., and the decision of the Competent Authority shall be final. No Voluntary Retirement shall be deemed to have come into effect unless the decision of the Competent Authority has been communicated in writing.
 9. The Corporation reserves the right to withdraw the Scheme at any time during the course of operation and its decision in this respect will be final.



(T. Kerketta)

General Manager (Pers.)

Copy to

- Exe. Secy. to CMD
- Exe. Secys.to all Directors/CVO
- All CGMs
- All Divisional Heads/All BMs
- JGM (F) (A&E)
- SG, Fed. of STCEUs, New Delhi
- SG, Fed of STCOAs, New Delhi
- SG, All India Fed. of STC SC/ST Emp. Association, New Delhi
- Notice Board
- STC Website

APPLICATION FOR STC VOLUNTARY RETIREMENT SCHEME – 2019**(to be submitted in duplicate to Nodal Officer)**

The General Manager (Pers),
STC of India Ltd.,
Jawahar Vyapar Bhawan,
Tolstoy Marg,
New Delhi – 110001

(THROUGH PROPER CHANNEL)

Sir,

With reference to the Circular No. IR/05/2019 dated 29.03.2019, I hereby apply for retirement under the STC Voluntary Retirement Scheme – 2019. My age and service particulars are as given below:

a.	DATE OF APPOINTMENT IN STC	
b.	COMPLETED YEARS OF SERVICE IN STC(as on date of application)	
c.	PRESENT POST HELD	
d.	DATE OF BIRTH	
e.	PRESENT AGE	
f.	DATE OF RETIREMENT ON ATTAINING THE AGE OF SUPERANNUATION	
g.	SALARY AS ON AS ON DATE OF APPLICATION:	
	I. BASIC PAY (Rs.)	
	II. DA (Rs.)	
	III. TOTAL	

- 2) I wish to opt for the following ex-gratia benefit pattern: -
- 3) I hereby undertake that I shall not withdraw my application after the acknowledgement has been given.
- 4) I request that my application for Voluntary Retirement may be considered favourably and on acceptance of the same, my dues may be settled at the earliest as per the Scheme.
- 5) I do hereby declare that I shall not join any other PSU/Govt. Department after Voluntary Retirement. In case I do so, the provisions of STC Voluntary Retirement Scheme 2019 shall be applicable to me.
- 6) I accept the terms and conditions stipulated in the STC Voluntary Retirement Scheme – 2019 unconditionally and irrevocably.

Yours Faithfully,

SIGNATURE: ()NAME OF APPLICANT: DESIGNATION: DIVISION/BRANCH: EMPLOYEE NO: PHONE NO. : S. No : Date of receipt : Time (HH:MM) :

Signature Name and Designation

of Nodal Officer: